सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	21499.91	594.26	22094.17	21549.87	588.08	22137.95	16718.15	588.55	17306.70	22452.42	715.73	23168.15
वसूलियां	*-310.89*	...	-310.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**21189.02**	**594.26**	**21783.28**	**21549.87**	**588.08**	**22137.95**	**16718.15**	**588.55**	**17306.70**	**22452.42**	**715.73**	**23168.15**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	33.59	...	33.59	35.10	...	35.10	35.25	...	35.25	35.53	...	35.53
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	188.98	14.81	203.79	209.72	12.58	222.30	187.22	13.55	200.77	200.48	15.73	216.21
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**222.57**	**14.81**	**237.38**	**244.82**	**12.58**	**257.40**	**222.47**	**13.55**	**236.02**	**236.01**	**15.73**	**251.74**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास												
3. परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)	2.41	...	2.41	260.00	...	260.00	70.00	...	70.00	362.00	...	362.00
4. क्लायर विकास योजना	92.15	...	92.15	103.10	...	103.10	75.10	...	75.10	104.39	...	104.39
5. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना												
5.01 खादी अनुदान (केजी)	287.56	...	287.56	461.00	0.50	461.50	395.50	...	395.50	464.00	...	464.00
5.02 खादी विकास योजना	343.19	...	343.19	515.19	...	515.19	420.61	...	420.61	541.77	...	541.77
5.03 ग्रामोद्योग विकास योजना	30.23	...	30.23	60.50	...	60.50	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	*660.98*	...	*660.98*	*1036.69*	*0.50*	*1037.19*	*866.11*	...	*866.11*	*1065.77*	...	*1065.77*
जोड़-खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास	**755.54**	**...**	**755.54**	**1399.79**	**0.50**	**1400.29**	**1011.21**	**...**	**1011.21**	**1532.16**	**...**	**1532.16**
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
6. एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन)	2.84	...	2.84	20.00	...	20.00	8.68	...	8.68	20.00	...	20.00
7. एमएसएमई चैम्पियन्स योजना	88.77	...	88.77	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	**91.61**	**...**	**91.61**	**74.72**	**...**	**74.72**	**63.40**	**...**	**63.40**	**74.72**	**...**	**74.72**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	3106.18	...	3106.18	2300.00	...	2300.00	1918.00	...	1918.00	2954.42	...	2954.42
9. ऋण सहायता कार्यक्रम	500.00	...	500.00	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा	14000.00	...	14000.00	9812.93	...	9812.93	7500.00	...	7500.00	9000.00	...	9000.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	**17606.18**	**...**	**17606.18**	**12112.97**	**...**	**12112.97**	**9418.00**	**...**	**9418.00**	**11954.42**	**...**	**11954.42**
11. ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस)	2.22	...	2.22	0.55	...	0.55	...	...	...	...	...	...
विपणन संवर्धन स्कीम												
12. खरीद और विपणन सहायता स्कीम	68.70	...	68.70	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00
13. अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी)	26.22	...	26.22	27.00	...	27.00	29.00	...	29.00	27.00	...	27.00
उद्यमिता और कौशल विकास												
14. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	13.75	...	13.75	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
15. निधियों के लिए निधि	...	579.45	579.45	...	575.00	575.00	...	575.00	575.00	...	700.00	700.00
16. उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	62.84	...	62.84	99.00	...	99.00	75.00	...	75.00	96.00	...	96.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	**76.59**	**579.45**	**656.04**	**129.00**	**575.00**	**704.00**	**105.00**	**575.00**	**680.00**	**136.00**	**700.00**	**836.00**
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
17. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	9.99	...	9.99	450.00	...	450.00	97.76	...	97.76	591.00	...	591.00
18. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	94.10	...	94.10	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	400.00	...	400.00
19. एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएएमपी	1319.41	...	1319.41	1170.00	...	1170.00	750.00	...	750.00	1500.00	...	1500.00
20. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)	178.66	...	178.66	400.00	...	400.00	300.00	...	300.00	410.00	...	410.00
21. उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई)	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	160.00	...	160.00
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.39	...	49.39	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	95.00	...	95.00
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	**1791.55**	**...**	**1791.55**	**2560.00**	**...**	**2560.00**	**1687.76**	**...**	**1687.76**	**3156.00**	**...**	**3156.00**
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
23. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	100.00	...	100.00	99.92	...	99.92	99.92	...	99.92	151.21	...	151.21
24. पीएम विश्वकर्मा	745.92	...	745.92	4824.00	...	4824.00	4000.00	...	4000.00	5100.00	...	5100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**21264.53**	**579.45**	**21843.98**	**21292.95**	**575.50**	**21868.45**	**16479.29**	**575.00**	**17054.29**	**22196.51**	**700.00**	**22896.51**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान	12.76	...	12.76	12.10	...	12.10	16.39	...	16.39	19.90	...	19.90
अन्य												
26. वास्तविक वसूली	-310.84	...	-310.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**-298.08**	**...**	**-298.08**	**12.10**	**...**	**12.10**	**16.39**	**...**	**16.39**	**19.90**	**...**	**19.90**
कुल जोड़	***21189.02***	***594.26***	***21783.28***	***21549.87***	***588.08***	***22137.95***	***16718.15***	***588.55***	***17306.70***	***22452.42***	***715.73***	***23168.15***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	21155.43	...	21155.43	19385.25	...	19385.25	15029.40	...	15029.40	20196.81	...	20196.81

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	33.59	...	33.59	35.10	...	35.10	35.25	...	35.25	35.53	...	35.53
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	594.26	594.26	...	530.08	530.08	...	531.05	531.05	...	645.73	645.73
4. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.50	0.50	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**21189.02**	**594.26**	**21783.28**	**19420.35**	**530.58**	**19950.93**	**15064.65**	**531.05**	**15595.70**	**20232.34**	**645.73**	**20878.07**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2129.52	...	2129.52	1653.50	...	1653.50	2220.08	...	2220.08
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	57.50	57.50	...	57.50	57.50	...	70.00	70.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**2129.52**	**57.50**	**2187.02**	**1653.50**	**57.50**	**1711.00**	**2220.08**	**70.00**	**2290.08**
कुल जोड़	**21189.02**	**594.26**	**21783.28**	**21549.87**	**588.08**	**22137.95**	**16718.15**	**588.55**	**17306.70**	**22452.42**	**715.73**	**23168.15**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	134.99	134.99	...	240.00	240.00	...	240.00	240.00	...	270.00	270.00
जोड़	**...**	**134.99**	**134.99**	**...**	**240.00**	**240.00**	**...**	**240.00**	**240.00**	**...**	**270.00**	**270.00**

1. **सचिवालय:** सचिवालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय, वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू यात्रा/विदेशी यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य आदि के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध विभाग है, जो देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण, समन्वय और अनुवीक्षण से संबंधित कई पहलुओं की निगरानी करता है। बजट प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय एवं एमएसएमई-डीएफओ तथा एमएसएमई-टीसी के स्थापना संबंधी व्ययों जैसे वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू यात्रा/विदेश यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य, कार्यालयी व्यय आदि के लिए हैं। इसमें सचिवालय एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई-डीएफओ तथा एमएसएमई-टीसी के लिए स्थापना संबंधी पूंजीगत व्यय जैसे मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण, सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, भवन निर्माण और संरचना कार्य, फर्नीचर और फिक्स्चर, भूमि, अवसंरचना संबंधी आस्तियां, अन्य अचल आस्ति आदि का व्यय भी प्रदान किया जाता है।

3. **परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति):** पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना(स्फूर्ति): इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और शिल्पकारों को सामूहित रूप से संगठित करना और उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करना है, जिससे उन्हें बढ़ी हुई और संधारणीय आय प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत शिल्पकारों को सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, नई मशीनरी और कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, विपणन और डिजाइन संबंधी कार्यों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण, शहद, बांस आदि भी शामिल हैं। वर्ष 2015-16 से 'स्फूर्ति' के अंतर्गत कुल 513 क्लस्टरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें भारत सरकार की कुल सहायता लगभग 1,332. 96 करोड़ रुपए है, जिससे देश भर के लगभग 3.03 लाख पारंपरिक शिल्पकारों को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इन 513 क्लस्टरों में से 374 क्लस्टर पहले से ही क्रियाशील हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ कुल 176 नए स्फूर्ति क्लस्टर संस्वीकृत किए जाने का अनुमान है और इससे 1,07,184 शिल्पकारों को लाभ प्राप्त होगा।

4. **क्वायर विकास योजना:** कॉयर विकास योजना का कार्यान्वयन कॉयर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो कॉयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने तथा इस पारंपरिक उद्योग में कार्यरत कारीगरों की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय है। कॉयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ नए उत्पादों और डिजाइनों के विकास हेतु वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सम्पन्न करना तथा भारत एवं विदेशों में कॉयर व कॉयर उत्पादों का विपणन करना शामिल है। यह भूसी, कॅयर फाइबर, कॉयर सूत के उत्पादकों तथा कॉयर उत्पादों के विनिर्माताओं के मध्य सहयोगी संगठनों

को भी बढ़ावा देता है; उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए लाभदायी प्रतिफल सुनिश्चित करता है। कॉयर विकास योजना के तहत और अधिक उद्यमियों को कॉयर क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न कार्यक्रम जैसे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, बाजार विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, ज्ञानवर्धक (एक्सपोजर) दौरे आदि का आयोजन किया जाता है। कॉयर उद्योग के लिए अपेक्षित कौशलयुक्त श्रमशक्ति सृजित करने के उद्देश्य से बोर्ड मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कौशल विकास तथा रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना के जरिए), पीएमईजीपी योजनाओं के माध्यम से नई इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना तथा कॉयर कारीगरों के लिए कल्याणकारी उपाय करना भी इसमें शामिल है। कॉयर क्षेत्र में निर्यात और घरेलू बाजार संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

5.01. **खादी अनुदान (केजी):** खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कई स्वतंत्र योजनाएं हैं, जिन्हें पिछली योजनावधियों में केवीआई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। नवंबर, 2019 में सभी मौजूदा केवीआई योजनाओं/उप-योजनाओं/घटकों का विलय कर दिया गया था और उन्हें खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) नामक अंब्रेला योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया था, जिसे फरवरी, 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा इसे 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 5035.36 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखा गया है। केजीवीवाई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा इस योजना में राज्य का कोई घटक शामिल नहीं है।

5.02. **खादी विकास योजना:** खादी विकास योजना (केवीवाई) खादी क्षेत्र अर्थात सूत, ऊन, सिल्क तथा मौजूदा योजनाओं जैसे संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी), खादी शिल्पकारों के लिए कार्यशेड योजना, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के अवसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण तथा विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, खादी (एसएंडटी) तथा खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के संवर्धन और विकास के लिए है।

5.03. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन और विकास तथा अन्य सहायता और ग्रामोद्योग के संवर्धन के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

'ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए अन्य सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जीवीवाई में ग्रामोद्योग के अंतर्गत कार्यकलापों में निम्न घटक/कार्यक्षेत्र शामिल हैं:-

क. आरोग्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)

ख. हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)

ग. कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)

घ. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)

ङ. ग्रामीण इंजीनियरिंग और नए प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)

च. सेवा उद्योग

खादी अनुदान में केवीआईसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी प्रकार के स्थापना व्यय को शामिल किया गया है।

6. **एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एस्पायर (नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना) नामक योजना, माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा दिनांक 16.03.2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि ग्रामोद्योग में नवोन्मेष और उद्यमिता हेतु उद्यमशीलता को गति प्रदान करना तथा स्टार्ट-अप्स का संवर्धन करना है। इस योजना को वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत तीन मुख्य घटकों के साथ (क) लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र (टीबीआई) तथा (ग) सिडबी के अंतर्गत निधियों की निधि (एफओएफ) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई थी।

एस्पायर योजना को 194.87 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ आगामी पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस योजना के तहत कुल 125 एलबीआई को संस्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। टीबीआई घटक को विकास आयुक्त, एमएसएमई की इंक्यूबेशन योजना के साथ अभिसरण के कारण समाप्त कर दिया गया था। वेतन आधारित रोजगार के अवसर सृजित करने के अतिरिक्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

7. **एमएसएमई चैम्पियन्स योजना:** एमएसएमई चैंपियंस योजना स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के माध्यम से शुरू की गई है। यह विभिन्न योजनाओं और कार्यकलापों को एकीकृत, समन्वित और अभिसारित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य उद्यमों को आगे बढ़ाना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना तथा उनकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। एमएसएमई चैंपियंस योजना के तहत 3 घटक अर्थात एमएसएमई संधारणीयता (जेड), एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन), एमएसएमई इनोवेटिव (इंक्यूबेशन, डिजाइन, आईपीआर, डिजिटल एमएसएमई) हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल बजट आवंटन 254.44 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 54.72 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। एमएसएमई चैंपियंस योजना के तहत घटक-वार उपलब्धियां इस प्रकार हैं: 28 अप्रैल, 2022 को शुरू की गई एमएसएमई-संधारणीयता (जेड) प्रमाणन योजना के तहत कुल 2,37,912 एमएसएमई प्रमाणित किए गए हैं। 10 मार्च, 2023 को शुरू की गई एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना के लिए 9,032 एमएसएमई ने आधारभूत प्रमाणन प्राप्त किया है। 10 मार्च, 2022 को शुरू की गई एमएसएमई-इनोवेटिव (इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना के तहत उपलब्धियों में इंक्यूबेशन घटक के तहत 930 विचारों को अनुमोदन प्रदान करने के साथ 697 मेजबान संस्थानो (एचआई) का अनुमोदन शामिल है। डिजाइन घटक में आईआईएससी, बैंगलुरू, सात आईटीआई और 12 एनआईटी के साथ 47 पेशेवर और छात्र डिजाइन परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईपीआर घटक में 730 आईपी प्रतिपूर्ति के साथ 77 आईपी सुविधा केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

8. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का विलय करके वर्ष 2008-09 में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। पीएमईजीपी का उद्देश्य शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से जुड़े लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्र में यह 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में यह लागत 20 लाख रुपए है। अच्छा निष्पादन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों को उनके उद्यम के विस्तार/उन्नयन के लिए सभी श्रेणियों के लिए 15% (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपए तक की दूसरी वित्तीय सहायता स्वीकार्य है। वित्त वर्ष 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 21.10.2024 तक) तक 9.82 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 25,935.24 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित करके

सहायता प्रदान की गई है। सहायता प्राप्त इकाइयों में से लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50% इकाइयां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के स्वामित्व वाली है।

9. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना क्रेडिट सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के जरिए क्रियाशील है। इस योजना के माध्यम से नए तथा साथ ही मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा दी जाने वाली कोलेटरल निशुल्क क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण की सीमा को 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया है। इस निधि का कॉर्पस 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार की साझेदारी अर्थात 7,000 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है और सीजीटीएमएसई को जारी की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) का नवीकरण किया गया था तथा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के पश्चात सीजीटीएमएसई के पूंजीनिवेश में, 9,000 करोड़ रुपए (भारत सरकार द्वारा 8,500 करोड़ रुपए का अंशदान तथा सिडबी द्वारा 500 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया) समाविष्ट किए गए हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए नवीकृत क्रेडिट गारंटी योजना, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है, के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

गारंटी की सीमा को 2.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.00 करोड़ रुपए करना।

गारंटी शुल्क में कमी: दिनांक 01.04.2023 से सभी क्षेत्रों में वार्षिक गारंटी शुल्क को 50 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले क्रेडिट की समग्र लागत में कमी आई है।

10.00 लाख रुपए तक के बकाया ऋण के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटारे के लिए किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

10. **योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा (जीईसीएल):** आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में योग्य एमएसएमई तथा अन्य व्यावसायिक उद्यमों की प्रचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न हुए दबाव मे मद्देनजर उनके व्यवसाय को पुन: बहाल करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.05.2020 को आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अंतर्गत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा योग्य ऋण प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में उन संस्थानों को 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान की जाती है। ईसीएलजीएस का कार्यान्वयन वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी।

11. **ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस):** इस योजना को मंत्रिमंडल द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह दिनांक 31.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में सुस्थापित और अनुभूत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत एमएसई को अभिज्ञात क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रुपए तक के संस्थागत ऋण पर 15% की सब्सिडी (अर्थात 15.00 लाख रुपए की सीमा तक सब्सिडी) प्रदान की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से किया गया था, तथापि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों, महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए भी सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त हुए सभी उपयुक्त सब्सिडी दावों का निपटान कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीईक्यूयूपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि योजना (टीएडीएफ) को इस योजना में विलय किया गया है। आकस्मिक देनदारियों के लिए बजट प्रावधान को प्रतिधारित रखा जा सकता है।

12. **खरीद और विपणन सहायता स्कीम:** राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि का आयोजन/उनमें प्रतिभागिता जैसी बाजार तक पहुंच संबंधी नई पहलों को बढ़ावा देना। विपणन में पैकेजिंग की प्रक्रिया, अद्यतन पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति तथा कार्यविधि, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में हुए आधुनिक विकास तथा बाजार तक पहुंच संबंधी नए घटनाक्रमों से जुड़े अन्य संगत विषयों के महत्व/पद्धतियों के बारे में एमएसएमई में जागरुकता पैदा करना तथा उन्हें शिक्षित करना।

खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना का उद्देश्य एमएसएमई की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और एक्स्पो में उनकी सहभागिता को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाकर उनके लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना प्रमुख विपणन पहलुओं जैसे नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों, आयात-निर्यात नीतियां और प्रक्रियाएं, जेम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल का उपयोग, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार में विकास और बाजार पहुंच तथा व्यापार विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर एमएसएमई को जागरुक करने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

इन पहलों को विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी), राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाओं जैसे घटकों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा, यह योजना बारकोड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आधुनिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करके सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण पर बल देती है, जिससे उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

13. **अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी):** इस योजना को निम्नलिखित योजनाओं के विलय से तैयार किया गया है: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान एवं राष्ट्रीय पुरस्कार व राष्ट्रीय बोर्ड योजनाओं का विलय करके वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार तैयार किया गया है। अब इस योजना में निम्नलिखित उप-घटक हैं:-

i. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी) की एक उप-योजना है। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/विदेशी व्यापार मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की सहभागिता को सुविधाजनक बनाकर निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु क्षमता निमार्ण करना तथा साथ ही साथ उन्हें व्यवहारिक बाजार-आसूचना प्रदान करना और वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में शामिल विविध प्रकार की लागतों की प्रतिपूर्ति करना है। यह योजना एमएसएमई को अपने-आप को सतत रूप से अद्यतित करने का अवसर प्रदान करती है ताकि वे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, नए बाजार के उभर कर आने आदि के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना कर सके। इस योजना में तीन घटक अर्थात एमएसएमई की बाजार विकास सहायता (एमडीए), प्रथम बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार सूचना प्रचार-प्रसार संबंधी फ्रेमवर्क (आईएमआईडी) शामिल हैं।

ii. सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) : इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करना है, जिन्हें एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने और उनका उन्नयन करने, अवसंरचना विकास, कौशल विकास करने, प्रशिक्षण और बाजार सहायता प्रदान करने आदि के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

iii. सर्वेक्षण, अध्ययन नीतिगत अनुसंधान- इस घटक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित/आवधिक तौर पर संतोषजनक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्विकरण के संदर्भ में एमएसएमई के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ-साथ इन एमएसएमई को उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा इन सर्वेक्षणों के

परिणामों का प्रयोग इस मंत्रालय के लिए इस योजना मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के लिए करना तथा सरकार द्वारा नीतिगत अनुसंधानों हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययनों के लिए उपर्युक्त कार्यनीतियों और पहलों के उपायों की रूपरेखा तैयार करना है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व और/अथवा प्रबंधन वाले उद्यमों के आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं।

iv. राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय बोर्ड : इस घटक का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए एमएसएमई उद्यमियों के योगदान को मान्यता देना तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है। वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1983 में शुरू किए गए जिसमें 19 उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पिछले पुरस्कार 30 जून, 2022 को प्रदान किए गए थे जिसमें 35 पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

14. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशा-निर्देशों (दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी) में (i) एमएसएमई मंत्रालय और मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थानों को अवसंरचना सहायता और उनकी क्षमता निर्माण (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना (कौशल विकास कार्यक्रमों/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित योजना के तहत नए ईडीआई की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। वित्तीय सहायता संबंधी इस योजना के तहत निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ को शामिल नहीं किया जाता है।

15. **निधियों के लिए निधि:** भारत सरकार ने उन एमएसएमई में जिनमें संवृद्धि करने की संभावना और व्यवहार्यता है तथा जो बड़ी इकाइयों का रूप ले सकती हैं, में 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी निधियन के रूप में समावेशन के लिए आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष नामक निधियों की निधि की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कुल 50,000 करोड़ रुपए की सहायता निधि में 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से तथा 40,000 करोड़ रुपए निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल निधियों के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य, एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराना है। अब तक, एमएसएमई मंत्रालय ने एसवीपी/मदर फंड अर्थात एनवीसीएफएल में 1405.36 करोड़ रुपए की राशि (वित्त वर्ष 2024-25 में 252.78 करोड़ रुपए) संस्वीकृत और जारी किए गए हैं। 56 डॉटर फंड को भी मदर फंड एनवीसीएफएल के साथ सूचीबद्ध किया गया है। इन डॉटर फंड से सभी निवेशकों से एमएसएमई में लगभग 9,106 करोड़ रुपए के निवेश से 480 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

16. **उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिक बीपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों वाले युवाओं को स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को करिअर विकल्प के रूप में चयन करने के लिए प्रात्साहित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, नए उद्यमों का संवर्धन, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है।

17. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** देशभर में 20 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और 100 विस्तार केन्द्रों की स्थापना द्वारा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केन्द्रों की पहुंच को बढ़ाने के लिए दिनांक 01.11.2018 को सीसीईए द्वारा नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना योजना को अनुमोदित किया था और जिसकी घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 02.11.2018 को की गई थी। प्रारम्भ में योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए और इसकी वैधता 31 मार्च, 2022 तक थी। योजना को 3,500 करोड़ रुपए (टीसी के लिए 2500 करोड़ रुपए तथा ईसी के लिए 1000 करोड़ रुपए) के संशोधित परिव्यय के साथ जुलाई, 2022 में वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

18. **प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी:** देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय देशभर में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना और मौजूदा टीसी के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ऋण सहायता सहित 2402 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन 15 नए टीसी में से 9 टीसी को राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। शेष प्राद्यौगिकी केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नए टीसी के कार्य स्थलों पर 614 नग मशीनें और प्रयोगशाला (प्रशिक्षण और उत्पादन) वितरित कर दी गई है।

19. **एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएएमपी:** रैम्प(आरएएमपी) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य एमएसएमई का बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा केन्द्र – राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस रैम्प योजना से प्रौद्योगिकीय उन्नयन, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, बाजार तक पहुंच, ऋण व्यवस्था, हरित पहलों आदि के संवर्धन द्वारा एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जाएगा। योजना का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 की पांच वर्षीय अवधि के लिए 3,750 करोड़ रुपए (500 मिलियन अमरीकी डॉलर) की विश्व बैंक सहायता के साथ 6062.45 करोड़ रुपए है। रैम्प योजना कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) के तहत अंतराल निधियन के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने के अलावा एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा निम्न एमएसएमई चैम्पियंस योजना, खरीद और विपणन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, रैम्प कार्यक्रम के तहत चार नई उप योजनाएं डिजाइन और लागू की गई है। ये हैं (i) एम एस ई हरित निवेश और परिवर्तन योजना हेतु निधीयन (एमएसई जीआईएफटी योजना)

(ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश हेतु एमएसई योजना(एमएसई एसपीआईसीई योजना)

(iii) लंबित भुगतानों हेतु एमएसई संबंधी ऑनलाईन विवाद समाधान योजना(ओडीआर)

(iv) एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीईएएम) पहल। रैम्प कार्यक्रम की अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27) के दौरान 5.5 लाख एमएसएमई के लाभान्वित किए जाने की परिकल्पना है।

20. **सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) : विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना अर्थात एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इस योजना के तहत, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना की जाती है और नए औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाओं (उदाहरणार्थ औद्योगिक सम्पदा) की स्थापना तथा मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एमएसई-सीडीपी मांग आधारित योजना है जिसका उद्देश्य सामान्य सहायता प्रदान करना, औद्योगिक सम्पदाओं/क्लस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए सामान्य कठिनाइयों का समाधान करके, एमएसएमई का क्षमता निर्माण के द्वारा एमएसएमई के स्थायित्व, इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। एमएसई-सीडीपी योजना को 1744.87 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक जारी रखा गया है। सीएफसी के लिए, भारत सरकार (जीओआई) की अनुदान सहायता 80 प्रतिशत तक है, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, जबकि आईडी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की अनुदान सहायता 70 प्रतिशत तक है, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

21. **उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई):** उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थान एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं और उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। बजट में सिविल अवसंरचना का उन्नयन और नकदी संबंधी कमी, यदि कोई हो को पूरा करने सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी की मशीनरी और उपकरण की खरीद हेतु सहायता अनुदान जारी करने के लिए निधि दी जाती है। प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति एससीएसपी/टीएएसपी शीर्ष के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा की जाती है।

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन:** पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र में एमएसएमई संवर्धन योजना, पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र के एमएसएमई के विकास के लिए पूर्णतया समर्पित है। यह योजना निम्नलिखित तीन घटकों के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (भारत सरकार अनुदान) प्रदान करती है:

I. नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना तथा मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केन्द्रों का आधुनिकीकरण।

II. नये और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास

III. पर्यटन क्षेत्र का विकास

घटक (i) और (ii) के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता 13.5 करोड़ रुपये , और घटक (iii) के लिए 4.5 करोड़ रुपये या, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। शेष और कोई भी आधिक्य राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

23. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना को अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने और अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या के बीच ''उद्यमशीलता संस्कृति'' के संवर्धन के उद्देश्य के साथ औपचारिक रूप से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अक्तूबर, 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सहभागिता और मंत्रालयों, विभागों तथा सीपीएसई लक्षित 4 प्रतिशत खरीद को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय के तहत सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हब के कार्य संचालन में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमों और उद्यमिता के आंकड़ों का संग्रहण करना और सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा एवं संभावित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण करना शामिल है।

24. **पीएम विश्वकर्मा:** पीएम विश्वकर्मा एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 17.09.2023 को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गुरू-शिष्य परंपरा अथवा अपने हाथों और औजारों से कारीगरों तथा शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के साथ परिवार आधारित प्रथाओं को सुदृढ़ और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ पहुंच को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना कि विश्वकर्माओं को घरेलू तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना भी है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र, 5 प्रतिशत की रियायती दरों पर 1 लाख रुपए तक (प्रथम किश्त) और 2 लाख रुपए तक (दूसरी किश्त) के लिए क्रेडिट सहायता, कौशल उन्नयन, टूल-किट प्रोत्साहन, डिजिटल संव्यवहार के लिए प्रोत्साहन तथा विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।

यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कारीगरों तथा शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रथम बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। इन व्यापारों में (i) कारपेंटर (बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) ब्लैकस्मिथ (लोहार); (v) हथौड़ा और टूलकिट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) कॉबलर (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) बास्केट/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॅयर बुनने वाले; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारम्परिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलैंड मेकर (मालाकार); (xvi) वाशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) मछली पकड़ने के लिए जाली निर्माता शामिल है।

25. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, जोकि एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्तशासी निकाय है, की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा के पुनर्गठन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। एमजीआईआरआई का उद्देश्य गांधीजी के स्थायी और आत्म-निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए एसएंडटी सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में स्वीकार्यता बढ़ सके।